संख्या-15/2022/525/सा0/47-का-4-2022-1/3/96

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 16 अगस्त, 2022

विषय: सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष- 2022-23

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-11/2022/363-सामान्य/सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96 दिनांक 15 जून, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष- 2022-23 के अनुसार स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानान्तरण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या-15/2022/525/सा0/47-का-4-2022-1/3/96

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in/